ग्राम पंचायत खज्जन विकास खण्ड व तहसील नूरपुर जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि:-01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 **{क} प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत, खज्जन विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री खेम राज चौधरी	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री चुड़ दीन	23-01-16 से अद्यतन

सचिव /सहायक

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सुरजीत	30.10.08 से 26.09.16
2.	कुमारी तनिका देवी	27.09.16 से अद्यतन

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1.	6.1	पंचायत राजस्व की वसूली का शेष पाया जाना।	0.08
2.	7	अनुदान राशियों का अवरोधन।	8.49
3.	8	बिना औपचारिकताओं के खरीद बारे।	2.06

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत खज्जन विकास खण्ड वतहसील नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 01/4 /2014 से 31/03/2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 07-04-2017 से 13-04-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 02/15, 02/16 व 02/17 तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 12/14, 09/15 व 02/17 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्धारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्धारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत खज्जन विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 88 दिनांक 13-04-17 द्वारा सचिव, पंचायत खज्जन से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति :- ग्राम पंचायत खज्जन द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/14 से 3/17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1} स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत खज्जन के अवधि 4/14 से 3/17 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	94577	58929	153506	53551	99955
2015-16	99955	40535	140490	28914	111576
2016-17	111576	68574	180150	48150	132000

{2} अनुदान :- ग्राम पंचायत खज्जन के अवधि 4/14 से 3/17 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	259597	2238212	2497809	2396129	101680
2015-16	101680	3072863	3174543	2686880	487663
2016-17	487663	4108464	4596127	3746644	849483

वित्तीय स्थिति के अनुसार कुल योग(1+2) =₹981483

31-3-17 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	KCCB Sadwan	20003053529	183037
2.	----do-----	50051928345	131685
3.	----do------	50051928403	639536
4	----do------	50055495940	15249
5.	----do------	50051928334	966
6.	----do------	50051928389	10475
		cash in hand	535
		TOTAL	**981483**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹981483

(ख) दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (ख-क) ₹981483

5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार कर एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमे प्रत्यक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व का ₹0.08 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-1 7 तक पंचायत के राजस्व ₹0.08 लाख की वसूली शेष थी ।

गृ हकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	2740	38700	41440	28110	13330
2015-16	13330	11955	25285	20505	4780
2016-17	4780	20400	25180	17530	7650

6.1 गृहकर के रूप में वसूली ₹100 जमा करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान आय की जांच में पाया गया की निम्नलिखित विवरणानुसार गृहकर के रूप में वसूली में से ₹100 को जमा नहीं किया गया है। कम जमा की गई राशि को दोषी से वसूल कर सभा निधि में जमा किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये।

दिनांक	रसीद संख्या	वसूली गई राशि	जमा की गई राशि	कम जमा
29-12-14	0884918 से 0884981	6400	6300	100

7 अनुदान ₹8.49 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 की अनुदान ₹8.49 लाख उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वांछित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 85 दिनांक 13-04-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खज्जन को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त

करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 अनुचित रूप से ₹550 का अधिक भुगतान:-

वाउचर संख्या 30 माह 08/15 की जांच करने पर पाया गया की हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को ₹15000 का भुगतान 50 सीमेंट बैग की खरीद हेतु किया गया है परन्तु बिल संख्या 3869 दिनांक 31-8-15 के अनुसार कुल ₹14450 बनती है। जबकि पंचायत द्वारा ₹15000 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार पंचायत द्वारा ₹550 का अधिक भुगतान किया गया है जोकि अनुचित है। अतः ₹550 को उचित स्त्रोत से वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण अवगत करवाया जाये।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.06 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक /स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹2.06 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 86 दिनांक 25-02-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खज्जन को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक /स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए

10 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 87 दिनांक 13-04-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खज्जन को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

क्रम संख्या	**रजिस्टर/अभिलेख का नाम**
1.	मोबाइल टावर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3 .	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
4	डाक टिकट रजिस्टर
5	रोकड़ वही व बैंक पास बुक मिलान सारणी
6	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
7	रसीद बुक रजिस्टर
8	खाता वही
9	मस्ट्रोल रजिस्टर

11 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

13 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

14 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–

(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)112/2017–खण्ड–1–6344–6347 दिनाँक,23.10.17 शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत खज्जन, विकास खण्ड नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कॉंगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–

(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881